फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

मुकदमा नम्बर :- 30/4 करण कुमार बनाम किशन चन्द वाद

कम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	17/7/25	**प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक** 7/8/25 **को पेश हो।**	
	7/8/25	प्र. पत्रावली उप. रज. श्री पेश हुआ। को शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता वादी को सीधे ही बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का वाद प्रारंभिक रूप से स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पत्र जारी हो पत्रावली नियमानुसार होकर उप नम्बर को फाड़ होतिया दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–30/2021

उनवान

कृष्ण कुमार पुत्र श्री तेतल, जाति मीणा, निवासी गांव बरवाड़ा, तहसील चोमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. विक्रम पुत्र श्री सुगन सिंह, जाति रैबारी, निवासी ग्राम खातेहपुरा, झुन्झुनु, जिला झुन्झुनु, राजस्थान (दौराने दावा नाम हजफ)
2. संदीप पुत्र श्री बसंताराम, जाति रैबारी, निवासी वार्ड नं. 11, रैबारी बास, जिला चूरू, राजस्थान (दौराने दावा नाम हजफ)
3. गोकुल पुत्र श्री रणजीत
4. मालीराम पुत्र श्री रणजीत
5. रामजीलाल पुत्र श्री रणजीत
6. सुभाष पुत्र श्री रणजीत
   मसस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम बरवाड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. रामकिशोर पुत्र श्री श्यामा
8. सुरेश पुत्र श्री श्यामा
9. रामप्यारी बेवा श्यामा (मृतक दौराने दावा नाम हजफ)
   समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी गांव बरवाड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
10. भू–दान यज्ञ बोर्ड जयपुर जरिये अध्यक्ष भूदान कार्यालय, जयपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय चौमू
12. सत्यनारायण पुत्र श्यामा, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बरवाड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
13. जयप्रकाश पुत्र श्री देवकरण गवरिया, जाति जाट, निवासी फ्लेट नं. एस–101, प्लाट नं. 24, 25, बृजलापुरा, संतोश नगर, गोपालपुरा बाईपास, सांगानेर रोड के पास, जयपुर, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

निर्णय

दिनांक :–07.08.2025

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि यह कि वाके ग्राम बरवाडा, पटवार हल्का अमरपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नांगलभरडा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में भूमि खाता संख्या 129 में वर्णित खसरा नम्बर 1374 रकबा 0.08 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1427 रकबा 0.29 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.37 हैक्टेयर स्थित है तथा नया खाता संख्या 12 में वर्णित खसरा नम्बर 1442 रकबा 1.39 हैक्टेयर कुल किता

Scanned with OKEN Scanner

का कुल रकबा 1.39 हैक्टेयर स्थित है। खाता संख्या 129 में वादी संख्या 1 का खातेदारी हिस्सा 1/7 भाग व शेष हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 9 का तथा नया खाता संख्या 12 सम्पूर्ण वादी संख्या 2 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त आराजीयात ही वाद पत्र में विवादित भूमि है जिसे वाद पत्र के अग्रिम मदों में विवादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया गया है। विवादग्रस्त भूमि की पूर्वी ओर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमियां खसरा नम्बर 1366 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1367 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1368 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1369 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1370 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1376 रकबा 0.56 हैक्टेयर कुल किता 7 का कुल रकबा 2.25 हैक्टेयर स्थित है जो कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वादीगण की भूमियों के मात्र राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पडौसी है, मौके पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का कोई कब्जा काश्त नही है। क्योंकि उक्त सम्पूर्ण आराजीयात भूमिया नदी नालों की भूमियां रही है, जो ग्राम पंचायत द्वारा मात्र उक्त खातेदारों के नाम अलोट की गई है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड की भूमि पूर्व में बद्री रैबारी के नाम से अलोट थी तथा बद्री रैबारी के फौत होने पर उक्त भूमि सुवा रैबारी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई। सुवा रैबारी द्वारा मात्र राजस्व रिकॉर्ड में नाम होने का फायदा उठाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को उपहार स्वरूप उक्त भूमियां दी गई जो जमाबन्दी में 06.04.2021 उपहार स्वरूप नामान्तकरण दर्ज है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 आये दिन वादीगण की भूमि के उपयोग उपभोग में व्यवधान करते रहते है तथा वादीगण की भूमि पर अवैध तरीके से जबरन लठ के बल पर कब्जा व निर्माण कार्य कर वादीगण को बेदखल करना चाहते है जिसका प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण विवादित आराजीयात पर काबिज खातेदार स्वामी है जिस कारण वादीगण को उपरोक्त आराजीयात का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का हक अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का विवादित भूमि के कब्जे एवं स्वामित्व से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नही है, ना ही इससे पूर्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारों का कभी कब्जा काश्त रहा है जबकि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 9 का उक्त भूमियों पर अलोटमेन्ट के समय से ही कब्जा काश्त रहा है। उक्त भूमियां नलों व खडडों के रूप में राजस्व अधिकारियों द्वारा खातेदारों को सम्भलाई गई थी उसी समय से वादी संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 9 के पिता तेताल व वादी संख्या 2 द्वारा उक्त भूमियो पर कब्जा काश्त रहा है तथा उक्त भूमियों का समतलीकरण व बा–जोत की टुकडियां तैयार कर, खाद इत्यादि डालकर उक्त भूमियों को वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 9 द्वारा कडी मेहनत कर उपजाऊ भूमियां बनाई गई है आज दिनांक तक भी प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 व इनके पूर्व के राजस्व रिकॉर्ड के खातेदारों द्वारा उक्त भूमियों को कभी भी नही सम्भाला है, ना ही मौके पर

Scanned with OKEN Scanner

काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम से दर्ज भूमियों पर आज दिवस तक भी प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का कोई कब्जा काश्त नहीं है बल्कि उक्त भूमियों पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 9 द्वारा ही काबिज काश्त किया जा रहा है तथा मौके पर मकान बनाकर रहवास कर रहे है तथा वादी संख्या 2 द्वारा अपने नाम से घरेलू विद्युत कनेक्शन भी प्राप्त कर रखा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज होते ही मौके पर भू–माफिया लोगों को लेकर आने लगे तथा जबरन वादीगण की भूमियों में प्रवेश कर विवादित भूमियों को बैचान, हस्तान्तरण करने हेतु दिखाने लगे जिस पर वादीगण द्वारा आपत्ति करने पर वादीगण को भूमियां अपने नाम होने का नाजायज उठाते हुए वादीगण को भी उनकी खातेदारी भूमि से बेदखल करने की धमकी दी तथा दिनांक 28. 06.2021 को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा बाजरे की खडी फसल में आकर वादीगण की पूर्व में लगाई गई तारबन्दी व सींव डोल में तोड–फोड कर वादीगण की भूमि पर जबरिया कब्जा करने लगे जिस पर वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का विरोध किया तो प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा वादीगण के साथ गाली गलौच की एवं मारपीट करने पर उतारू हो गया तथा वादीगण को शीघ्र ही विवादित भूमि पर जबरिया लठ के बल पर कब्जा कर बेदखल करने की धमकी दी गई जिस कारण वादीगण को उक्त वाद पत्र पेश करना लाजमी आया है।

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जावें कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्ध करवायें कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित विवादग्रस्त भूमियों के वादीगण द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित नहीं करें, ना ही वादीगण की भूमि की पूर्वी दिशा की ओर बनी हुई सींव डोल तोड–फोड करें, ना ही तारबन्दी को तोडे, ना ही फसल को नुकसान कारित करें, ना ही वादीगण की भूमि में जबरिया अतिक्रमण करें, ना ही पुख्ता निर्माण कार्य करें, ना ही निर्माण सामग्री डाले, ना ही विवादित भूमि पर जबरिया कब्जा कर वादीगण को बेदखल करें तथा ना ही बिना सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी आदेश के जबरिया पत्थरगढ़ी व तारबन्दी करें तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के उक्त कृत्यों में कोई सहयोग प्रदान नहीं करें। उक्त कृत्य उक्त प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ना तो स्वयं करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन के जरिये करवायें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 की ओर से वकील कृष्णा गांधी पेश हुए। पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी के अनुसार वादीगण विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के

Scanned with OKEN Scanner

उपयोग उपभोग के सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार प्राप्त है। लिहाजा वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्थायी निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि वाके ग्राम बरवाडा, पटवार हल्का अमरपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नांगलभरडा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में भूमि खाता संख्या 129 में वर्णित खसरा नम्बर 1374 रकबा 0.08 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1427 रकबा 0.29 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.37 हैक्टेयर स्थित है तथा नया खाता संख्या 12 में वर्णित खसरा नम्बर 1442 रकबा 1.39 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 1.39 हैक्टेयर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नहीं करें। तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत् सख्त पाबन्ध किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 07.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0 ट्रे0/मुख्यालय)चौमूँ

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–30/2021

उनवान

कृष्ण कुमार पुत्र श्री तेतल, जाति मीणा, निवासी गांव बरवाड़ा, तहसील चोमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. विक्रम पुत्र श्री सुगन सिंह, जाति रैबारी, निवासी ग्राम खातेहपुरा, झुन्झुनु, जिला झुन्झुनु, राजस्थान (दौराने दावा नाम हजफ)
2. संदीप पुत्र श्री बसंताराम, जाति रैबारी, निवासी वार्ड नं. 11, रैबारी बास, जिला चूरू, राजस्थान (दौराने दावा नाम हजफ)
3. गोकुल पुत्र श्री रणजीत
4. मालीराम पुत्र श्री रणजीत
5. रामजीलाल पुत्र श्री रणजीत
6. सुभाष पुत्र श्री रणजीत
   मसस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम बरवाड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. रामकिशोर पुत्र श्री श्यामा
8. सुरेश पुत्र श्री श्यामा
9. रामप्यारी बेवा श्यामा (मृतक दौराने दावा नाम हजफ)
   समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी गांव बरवाड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
10. भू–दान यज्ञ बोर्ड जयपुर जरिये अध्यक्ष भूदान कार्यालय, जयपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय चौमू
12. सत्यनारायण पुत्र श्यामा, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बरवाड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
13. जयप्रकाश पुत्र श्री देवकरण गवरिया, जाति जाट, निवासी फ्लेट नं. एस–101, प्लाट नं. 24, 25, बृजलापुरा, संतोश नगर, गोपालपुरा बाईपास, सांगानेर रोड के पास, जयपुर, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

मुकदमा नं0:–30/2021

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

mnt

Scanned with OKEN Scanner

वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजीयात का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नहीं करें। साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत् सख्त पाबन्द किया जावें।

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 07.08.2025 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत .....

ओहदा.....

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	2
जोड़	3	जोड़	2

Scanned with OKEN Scanner